न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 31/2022

प्रार्थी–

पुरखाराम पुत्र नवलाराम जाति
जाट निवासी मूढणों की ढाणी
उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत उण्डू
2. कुंभाराम पुत्र मंगनाराम जाति जाट निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 22 दिनांक 06.10.2022 जो ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश पूनड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से जनसुनवाई दिनांक 19.10.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य पट्टों की जांच कर निरस्त करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत उण्डू के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 06.10.2022 के विरूद्ध स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज किया गया हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा पुनः निगरानी प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.04.2023 को प्रस्तुत किये जाने पर पूर्व में स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज निगरानी प्रकरण के हम फीता किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:22:36 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत [illegible] यह है कि ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के [illegible] मे राजस्थान पंचा[illegible]ज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उण्डू की आबादी भूमि में पट्टा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संख्या 22 दिनांक 06.10.2022 किया गया। ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत उण्डू का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि मौजा उण्डू की आबादी भूमि में 40 गुणा 70 फीट का आया हुआ है। उक्त प्लांट में पक्की ईंटों का कमरा, एक पानी की टांकली तथा प्लॉट के दो तरफ रांगे भरी हुई है। भूखण्ड के पडौसी पूर्व में गुणदास पुत्र भगवानदास संत का प्लॉट, पश्चिम में ग्रेवल सड़क, उत्तर में हनुमानजी का मंदिर व दक्षिण में नवलाराम का प्लॉट हैं। प्रार्थी का उक्त प्लॉट पर पिछले 20–25 वर्षों से लगातार कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा हैं। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2016 में विद्युत कनेक्शन भी ले रखा हैं। प्रार्थी द्वारा सरपंच व ग्रामसेवक से उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने का निवेदन किया तो 40000/– रूपये की मांग की गई तथा रूपये देने से इंकार करने पर अप्रार्थी सं. 2 कुम्भाराम के नाम पैसे लेकर आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। इस पर प्रार्थी द्वारा नरेन्द्र कुमार, केसाराम व पट्टा धारक कुंभाराम के विरूद्ध एक मुकदमा सं. 06/2023 अन्तर्गत धारा 420, 406 भादसं के तहत पुलिस [illegible] में दर्ज करवाया गया हैं जो अनुसंधानाधीन हैं। अप्रार्थी सं. 2 मदणों [illegible] उण्डू में अपनी करीब 60 बीघा कृषि भूमि पर अपने परिवार सहित [illegible] परिसर में निववास कर रहा है, इसके बावजूद अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा विधि विरूद्ध जारी कर दिया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:22:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा मिसल सं. 22/2021 कायम कर पट्टा संख्या 22 दिनांक 06.10.2022 को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत उण्डू की आबादी भूमि में अप्रार्थी के आवासीय भूखण्ड आया हुआ है। ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 22 दिनांक 06.10.2022 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जारी पट्टा ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है । ग्राम पंचायत उण्डू की ओर से भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह पट्टा जारी किया गया हैं। अप्रार्थी का इस भूमि पर पुराना कब्जा हैं तथा प्रार्थी के कब्जे के भूखण्ड पडौस में आया हुआ हैं जिसका पट्टा प्रार्थी के पिता के नाम जारी हैं। प्रार्थी ने अपने भूखण्ड के साथ–साथ अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से परेशान करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन हैं कि मौजा उण्डू की आबादी भूमि में 40 गुणा 70 फीट का आया हुआ है। उक्त प्लांट में पक्की ईंटों का कमरा, एक पानी की टांकली तथा प्लॉट के दो तरफ रांगे भरी हुई है। भूखण्ड के पडौसी पूर्व में गुणदास पुत्र भगवानदास संत का प्लॉट, पश्चिम में ग्रेवल सड़क, उत्तर में हनुमानजी का मंदिर, दक्षिण में नवलाराम का प्लॉट हैं। प्रार्थी का उक्त प्लॉट पर पिछले 20–25 वर्ष से लगातार कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा हैं। इस अनुसार प्रार्थी का वर्तमान आयु 39 वर्ष हैं, जिससे प्रार्थी का 20–25 वर्षों से रहवासीय कब्जा होने का तथ्य मानने योग्य प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:22:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नहीं होता है, इसके अलावा इस भूखण्ड के पडौस में प्रार्थी के पिता के नाम पट्टाशुदा भूखण्ड आया हुआ है जिसमें उसका रहवास होने से इस भूखण्ड में उसका पृथक से पुराने कब्जे का तथ्य स्वीकार योग्य नहीं हैं। ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जारी पट्टा ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है । अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने पुराने गृहों के विनियमितीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाकर पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह पट्टा जारी किया जाना पाया जाता हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 22 की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:22:36 IST
Reason: SelfAttested